झारखंड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, रांची – 834001

विज्ञापन

आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि :–20.12.2016 **विज्ञापन संख्या**– 39/2016

झारखण्ड राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में **प्रधानाचार्य** के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु इच्छुक भारतीय अर्हत्ताधारियों से निम्न प्रकार विहित शर्तों एवं निर्देशों के अनुरूप आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :–

1. **पद का नाम** :– Principal (प्रधानाचार्य) **वेतनमान** :–37,400–67,000 + AGP- 10,000

2. **रिक्तियों का विवरण**

Name of Post	Ranchi University, Ranchi						Vinoba Bhave University, Hazaribag						Sidho Kanhu Murmu University, Dumka						Nilamber Pitamber University, Palamu						Kolhan University, Chaibasa						G. Total
	UNR	ST	SC	BC-I	BC-II	TOTAL	UNR	ST	SC	BC-I	BC-II	TOTAL	UNR	ST	SC	BC-I	BC-II	TOTAL	UNR	ST	SC	BC-I	BC-II	TOTAL	UNR	ST	SC	BC-I	BC-II	TOTAL	
Principal	04	03	-	-	01	**08**	07	05	01	01	-	**14**	06	03	01	01	-	**11**	02	01	-	01	-	**04**	05	03	-	01	01	**10**	**47**

नोट :–

- विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग में प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति हेतु महिला के लिए 01 (एक) पद एवं अल्प दृष्टि के लिए 01 (एक) पद पर क्षैतिज आरक्षण देय होगा।
- महिला निःशक्त एवं खेलकूद कोटि के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अद्यतन संकल्प अनुसार क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा।
- एकल पदों पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–4423 दिनांक–05.08.2012 के आलोक में आरक्षण रोस्टर लागू नहीं होगा।
- आरक्षित/अनारक्षित रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है।

3. **अर्हत्ता एवं अनुभव** :–

Name of Post	Qualification & Experience
Principal	(i) A Master's degree with at least 55% marks or an equivalent grade 'B' in the 7 point scale with letter grades O, A, B, C, D, E & F (Wherever grading system is followed) by a recognized University. (ii) A Ph.D. Degree in concerned/allied/relevant discipline(s) in the institution/colleges concerned, with evidence of published work and research guidance. (iii) Associate Professor/Professor with a total experience of fifteen years of teaching/research/administration in Universities, Colleges and other institutions of higher education. (iv) A minimum score as stipulated in the Academic Performance Indicator (API) based Performance Based Appraisal System (PBAS) as set out in the statute as per Appendix-A against the post of Associate Professor/Professor.

Note :- Candidates who will be retiring during the process of selection, they will not be eligible for these positions.

4. **Explanation of Academic Record:**

(i) A relaxation of 5% may be provided from 55% to 50% of the marks at the Master's level for SC/ST category

(ii) A relaxation of 5% may be provided from 55% to 50% of the marks to the Ph.D. degree holders who have passed master's degree prior to 19th September 1991.

(iii) B in the 7-point scale with letter grades O, A, B, C, D, E & F shall be recorded as equivalent to 55% wherever the grading system is followed.

SEVEN POINT SCALE

Grade	Grade Point	Percentage Equivalent
'O' - Outstanding	5.50-6.00	75-100
'A' - Very Good	4.50-5.49	65-74
'B' - Good	3.50-4.49	55-64
'C' - Average	2.50-3.49	45-54
'D' - Below Average	1.50.2.49	35-44
'E' - Poor	0.50-1.49	25-34
'F' - Fail	0-0.49	0-24

(iv) The minimum requirement of 55% shall not be insisted upon for Principals, Professors and Associate Professors for the existing incumbents who are already in the University system, however, these marks should be insisted upon for those entering the system from outside.

(v) The statutes shall not be applicable to such cases where selection of the candidates having had the then requisite qualification as were existing at that time through duly consitituted selection committee for making appointments to the reaching posts have been made prior to the enforcement of these statutes.

5. **Mode of Selection:** - Selection will be made on the basis of performance of the candidate in personal Interview.

6. **आरक्षण :–**

(i) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(ii) झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण संबंधी नियम प्रभावी होंगे। अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के उम्मीदवारों को चाहे वे किसी भी जाति के हों, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(iii) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के निवासी को झारखण्ड राज्य के सक्षम स्तर के पदाधिकारी अर्थात् **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। **झारखण्ड राज्य के बाहर के जाति प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी के लिए आरक्षण के लाभ हेतु किया गया दावा अनुमान्य नहीं होगा।** झारखण्ड राज्य के उम्मीदवार, जो **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग** (Annexure-I)/**पिछड़ा वर्ग** (Annexure-II) के हैं, को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए वर्तमान का झारखण्ड राज्यान्तर्गत **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत प्राधिकार, प्रमाण पत्र संख्या, जारी करने की तिथि का विवरण आवेदन पत्र में देना अनिवार्य होगा। निर्धारित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

(iv) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक आरक्षण हेतु निर्गत जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है एवं मूल प्रति अन्तर्वीक्षा के समय सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा संबंधित उम्मीदवार सामान्य (अनारक्षित) कोटि में अंकित किये जायेंगे।

(v) साक्षात्कार के समय आवेदन में दिए गए प्रविष्टि (Entry) के अनुरूप सभी प्रमाणपत्रों की संबंधित मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. **(i) कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणाम:–**

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of:

(a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
(b) Impersonating, or
(c) Procuring impersonation by any person, or
(d) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
(e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
(f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
(g) Using unfair means during the test, or
(h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or
(i) Misbehaving in any other manner in the interview room, or
(j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
(k) Bringing mobile phone/communication device in the interview room.
(l) Attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
    (i) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or
    (ii) to be debarred either permanently or for a specified period:-
    (iii) canvassing in any form will disqualify a candidate.

(ii) <u>कदाचार के लिए कार्यवाही</u> :–

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गऐ अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी, जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

(iii) <u>पूर्व के कदाचार का प्रभाव</u>:–

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश

8. प्रविष्टि :

(i) आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ए–4 आकार (210 X 297 मिमी.) के मोटे कागज पर आयोग के वेबसाइट–**www.jpsc.gov.in** से डाउनलोड कर व्यवहार में लायें। निर्धारित प्रपत्र से अलग मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(ii) आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ नीले/काले बॉल प्वाइंट पेन से स्वहस्तलिपि में साफ–साफ अंकित करें। चूंकि आवेदन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जाना है अतः यह अनिवार्य है कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र मे ही हो, उचित एवं पूर्ण रूप से भरा हो और उसमें कोई संशोधन/परिवर्तन/ओवरराइटिंग नहीं हो। आवेदन भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें।

(iii) आवेदन–पत्र में रिक्त आयतों का समुचित तरीके से इस प्रकार भरें जैसे :–

(i) आवेदन में देवनागरी लिपि में नाम. यथा; सचिन कुमार. इस प्रकार भरा जाय –

स	चि	न		कु	मा	र			

(ii) हिन्दी अथवा अंग्रेजी में एक शब्द के बाद एक ब्लॉक रिक्त रखें यथा – AMIT KUMAR RAM को बॉक्स में इस तरह लिखेंगे एवं तदनुसार ही ब्लॉक को भरेंगे :–

A	M	I	T		K	U	M	A	R		R	A	M			

(iii) उसी प्रकार सभी स्तम्भ (कॉलम) के आयतों को भरें। अपूर्ण अथवा अनुचित तरीके से भरे गये आयतों को अधूरी/अपूर्ण सूचना समझी जायेगी एवं आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(iv) जो स्तम्भ (कॉलम) उम्मीदवार से संबंधित न हो अथवा उसपर लागू न हो, उसे क्रॉस (x) कर दें।

(v) **आवेदक "शैक्षणिक योग्यता" के अधीन 'प्राप्तांक/पूर्णांक एवं प्रतिशत के स्तम्भों में अतिरिक्त विषय के अंक एवं प्रतिशत को नहीं जोड़ें।**

(vi) आवेदक अपनी शारीरिक पहचान का एक विशिष्ट चिह्न अवश्य अंकित करें जो दूसरों से उनकी पहचान पृथक कर सकें।

(vii) यदि कोई सूचना विज्ञापन में वांछित हो, तब ही भरें। अन्यथा उसे क्रॉस (x) कर दें।

9. फोटोग्राफ :–

आवेदन पत्र पर फोटो चिपकाने हेतु निर्धारित खाली जगह में अंकित निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। फोटो स्टेपल न करें या सेलोटेप से न साटें। गोंद से अच्छी तरह चिपकाएँ। फोटो हाल का खींचा हुआ होना चाहिए। पुराना एवं अस्पष्ट फोटो आवेदन–अस्वीकृति का कारण हो सकता है। फोटो इस प्रकार स्वअभिप्रमाणित किया जाय कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पर एवं शेष आधा भाग फोटो पर रहे।

10. लिफाफा एवं प्रमाण पत्र :–

(i) विहित आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वच्छ एवं स्पष्ट (Visible) स्वअभिप्रमाणित प्रतियां अनुलग्नक के रूप में क्रमवार अवश्य संलग्न करें :–

1) आयु संबंधी मैट्रिक का प्रमाण पत्र/अंक पत्र,
2) स्नातक डिग्री प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र,
3) स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र,
4) पीएच.डी. प्रमाण पत्र,
5) जाति प्रमाण पत्र,
6) अनुभव प्रमाण पत्र
7) विकलांगता का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र,
8) अन्य संबंधित अभिलेख जो विज्ञापन के अनुरूप हो।

(ii) जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भज रहें हैं, उस लिफ़ाफा के ऊपर विज्ञापन सं॰, विषय कोड एवं पदनाम जिसके लिए आपने आवेदन किया है, अनिवार्य रूप से अंकित करें।

11. परीक्षा शुल्क :–

(i) सामान्य/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Annexure-I)/पिछड़ा वर्ग (Annexure-II) के उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क के रूप में रुपये **600**/–(छह सौ) मात्र + बैंक चार्ज रुपये **50**/– (पचास) मात्र तथा झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को रुपये **150**/– (एक सौ पचास) मात्र + बैंक चार्ज रुपये **50**/– (पचास) मात्र देय होगा। परीक्षा शुल्क चालान के माध्यम से आयोग के खाता संख्या–**35231071548** में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा किया जा सकता है। उक्त चालान का प्रपत्र आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** से डाउनलोड कर व्यवहार में लाया जा सकता है। चालान की एक मूल प्रति (JPSC's Copy) आवेदन पत्र के साथ निश्चित रूप से संलग्न करें तथा चालान की तीसरी प्रति (Depositor's Copy) अपने पास सुरक्षित रखें।

(ii) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क में छूट हेतु न्यूनतम अनुमंडल पदाधिकारी से निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

(iii) विकलांग (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) आवेदकों के लिए परीक्षा शुल्क देय नहीं है। इसके लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

12. अन्य शर्ते :–

(i) अपूर्ण, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(ii) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

(iii) आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(iv) अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है।

(v) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(vi) विभिन्न विश्वविद्यालयों की सेवा के लिए अभ्यर्थी अपने अधिमानता अन्तर्वीक्षा के समय अंकित कर सकेंगे।

13. अंतिम तिथि :–

(i) भरा हुआ आवेदन पत्र केवल **निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट/हाथों–हाथ** से इस प्रकार भेंजे कि दिनांक–**30.11.2016** से दिनांक–**20.12.2016** अपराह्न **5:00** बजे तक परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची–834001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।

(ii) यदि डाक सेवा में विलम्ब के कारण किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होगा, तो वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा इसके लिए आयोग कतई जिम्मेदार नहीं होगा।

अनुलग्नक– APPENDIX-A

सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।